

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद शामिल, सम्भल एवं हापुड़ के अतिरिक्त।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०/2015-16/07/10915-75 दिनांक 20-3-17

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 72 जनपदों हेतु मदवार गतिविधिवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 आर०ओ०पी० में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एफ०एम०आर० कोड सं०-एम पर 72 जनपदों हेतु रू० 3001.28 लाख की अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष 1101.05 लाख की धनराशि प्रथम किश्त तथा रू० 1563.53 लाख की धनराशि के रूप में पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है तथा इस कार्यालय के पत्र सं० एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०/2015-16/07/6697 दिनांक 26/10/2016 एवं एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०/2016-17/07/9694 दिनांक 03/02/2017 द्वारा जनपदों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत संविदाकर्मियों के हेतु माह जनवरी, 2017 तक के मानदेय की धनराशि सम्मिलित थी।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार पूर्व से कार्यरत संविदाकर्मियों के माह फरवरी एवं मार्च, 2017 के मानदेय तथा शेष संविदाकर्मियों के माह, जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2017 के मानदेय हेतु तृतीय किश्त के रूप में कुल रू० 184.58 लाख की धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है-

Sl. No.	Heads	Flexible Pool Rs. 12,000 p.m. for existing 15 districts DEO M.1.5.6	District Consultant @ 40,000 P.M. M.1.6.1	Social Worker @ 25,000 P.M. M.1.6.2	Psychologist/ Counselor @ 25,000 P.M. M.2.2.1	HR Increment @ 5% (Refer HR increment calculation sheet)	Total
1	Agra	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
2	Aligarh	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
3	Allahabad	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
4	Ambedkar Nagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
5	Amethi	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
6	Amroha	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
7	Auraiya	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
8	Azamgarh	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
9	Badaun	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
10	Baghpat	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
11	Bahraich	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
12	Balarampur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
13	Ballia	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
14	Banda	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
15	Barabanki	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
16	Bareilly	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
17	Basti	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00

18	Bijnor	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
19	Bulandshahar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
20	Chandauli	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
21	Chitrakoot	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
22	Deoria	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
23	Etah	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
24	Etawah	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
25	Faizabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
26	Farrukhabad	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
27	Fatehpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
28	Firozabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
29	G.B. Nagar	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
30	Ghaziabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
31	Ghazipur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
32	Gonda	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
33	Gorakhpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
34	Hamirpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
35	Hardoi	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
36	Hathras	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
37	Jalaun	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
38	Jaunpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
39	Jhansi	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
40	Kannauj	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
41	Kanpur Dehat	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
42	Kanpur Nagar	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	2,500.00	206,500.00
43	Kasganj	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
44	Kaushambi	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
45	Kushinagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
46	Lakhimpur-Kheri	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
47	Lalitpur	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	209,000.00
48	Lucknow	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
49	Mahoba	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
50	Mahrajganj	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
51	Mainpuri	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
52	Mathura	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
53	Mau	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
54	Meerut	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
55	Mirzapur	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
56	Moradabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
57	Muzaffarnagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
58	Pilibhit	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
59	Pratapgarh	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
60	Raebareli	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
61	Rampur	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
62	Saharanpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
63	Sant Kabir Nagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
64	S.R. Nagar (Bhadohi)	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
65	Shahjahanpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
66	Shrawasti	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
67	Siddhartha Nagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
68	Sitapur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
69	Sonbhadra	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00

70	Sultanpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
71	Unnao	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
72	Varanasi	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
Total		360,000.00	8,040,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	7,500.00	18,457,500.00

3. अवगत कराना है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय में वार्षिक वृद्धि का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, अतः प्रथम किस्त में जिन जनपदों को डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय में वार्षिक वृद्धि करते हुये धनराशि अवमुक्त की गई थी, उन जनपदों में डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु पूर्व में अवमुक्त वार्षिक वृद्धि की धनराशि का समायोजन करते हुये मानदेय की धनराशि अवमुक्त की जा गई है।

4. कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार, मदवार विस्तृत फांट पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अन्तर्गत टी०ओ०आर० के अनुसार ही प्राथमिकतर के आधार पर सुनिश्चित की जाये।

7. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निदेशक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र० के पत्र सं०-तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016/200 दिनांक 27-09-2016 द्वारा जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित किया जा चुका है।

8. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

10. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

11. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

13. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा

की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

16. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

तद्दिनांक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NTCP/2016-17/07/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ०प्र०।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०टी०सी०पी०, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. संबन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल द्वारा इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।


(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद शामली, सम्भल एवं हापुड़ के अतिरिक्त।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०/2015-16/07/

दिनांक 20-03-17

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 72 जनपदों हेतु मदवार गतिविधिवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 आर०ओ०पी० में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एफ०एम०आर० कोड सं०-एम पर 72 जनपदों हेतु रू० 3001.28 लाख की अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष 1101.05 लाख की धनराशि प्रथम किस्त तथा रू० 1563.53 लाख की धनराशि के रूप में पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है तथा इस कार्यालय के पत्र सं० एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०/2015-16 /07/6697 दिनांक 26/10/2016 एवं एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०/2016-17/07/9694 दिनांक 03/02/2017 द्वारा जनपदों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत संविदाकर्मियों के हेतु माह जनवरी, 2017 तक के मानदेय की धनराशि सम्मिलित थी।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार पूर्व से कार्यरत संविदाकर्मियों के माह फरवरी एवं मार्च, 2017 के मानदेय तथा शेष संविदाकर्मियों के माह, जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2017 के मानदेय हेतु तृतीय किस्त के रूप में कुल रू० 184.58 लाख की धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है-

Sl. No.	Heads	Flexible Pool Rs. 12,000 p.m. for existing 15 districts DEO M.1.5.6	District Consultant @ 40,000 P.M. M.1.6.1	Social Worker @ 25,000 P.M. M.1.6.2	Psychologist/ Counselor @ 25,000 P.M. M.2.2.1	HR Increment @ 5% (Refer HR increment calculation sheet)	Total
1	Agra	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
2	Aligarh	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
3	Allahabad	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
4	Ambedkar Nagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
5	Amethi	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
6	Amroha	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
7	Auraiya	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
8	Azamgarh	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
9	Badaun	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
10	Baghpat	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
11	Bahraich	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
12	Balarampur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
13	Ballia	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
14	Banda	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
15	Barabanki	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
16	Bareilly	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
17	Basti	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00

18	Bijnor	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
19	Bulandshahar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
20	Chandauli	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
21	Chitrakoot	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
22	Deoria	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
23	Etah	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
24	Etawah	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
25	Faizabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
26	Farrukhabad	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
27	Fatehpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
28	Firozabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
29	G.B. Nagar	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
30	Ghaziabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
31	Ghazipur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
32	Gonda	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
33	Gorakhpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
34	Hamirpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
35	Hardoi	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
36	Hathras	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
37	Jalaun	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
38	Jaunpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
39	Jhansi	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
40	Kannauj	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
41	Kanpur Dehat	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
42	Kanpur Nagar	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	2,500.00	206,500.00
43	Kasganj	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
44	Kaushambi	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
45	Kushinagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
46	Lakhimpur-Kheri	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
47	Lalitpur	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	209,000.00
48	Lucknow	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
49	Mahoba	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
50	Mahrajganj	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
51	Mainpuri	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
52	Mathura	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
53	Mau	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
54	Meerut	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
55	Mirzapur	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
56	Moradabad	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
57	Muzaffarnagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
58	Pilibhit	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
59	Pratapgarh	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
60	Raebareli	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
61	Rampur	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
62	Saharanpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
63	Sant Kabir Nagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
64	S.R. Nagar (Bhadohi)	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
65	Shahjahanpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
66	Shrawasti	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
67	Siddhartha Nagar	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
68	Sitapur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
69	Sonbhadra	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00

70	Sultanpur	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
71	Unnao	-	120,000.00	75,000.00	75,000.00	-	270,000.00
72	Varanasi	24,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	204,000.00
Total		360,000.00	8,040,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	7,500.00	18,457,500.00

3. अवगत कराना है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय में वार्षिक वृद्धि का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, अतः प्रथम किश्त में जिन जनपदों को डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय में वार्षिक वृद्धि करते हुये धनराशि अवमुक्त की गई थी, उन जनपदों में डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु पूर्व में अवमुक्त वार्षिक वृद्धि की धनराशि का समायोजन करते हुये मानदेय की धनराशि अवमुक्त की जा गई है।

4. कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार, मदवार विस्तृत फांट पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अन्तर्गत टी०ओ०आर० के अनुसार ही प्राथमिकतर के आधार पर सुनिश्चित की जाये।

7. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निदेशक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र० के पत्र सं०-तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016/200 दिनांक 27-09-2016 द्वारा जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित किया जा चुका है।

8. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

10. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

11. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

13. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा

की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

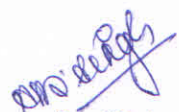
16. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NTCP/2016-17/07/10915759 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ०प्र०।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०टी०सी०पी०, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. संबन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल द्वारा इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।


(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०